



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-110-औ०सं०-17/पाकालि/2024-11(28)ए०एस०/04(टी०सी०)

दिनांक: 21 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-4920-औ०सं०-17/पाकालि/2023 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद को 07 गम्भीर रोगों की कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा/उपचार कराने हेतु दिनांक 30.04.2024 तक प्रदान की गयी थी।

उक्त कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा हेतु दी गयी मान्यता को यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद के चिकित्सालय प्रबन्धन के पत्र दिनांक 25.11.2023 द्वारा कारपोरेशन में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं सी०जी०एच०एस० की स्वीकृत दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की असहमति के दृष्टिगत एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त चिकित्सालय की आदेश सं०-3030-औ०सं०-17/पाकालि/2023-11(01)ए०एस०/09(23-24) दिनांक 07.07.2023 द्वारा अन्तः रोगी के रूप में उपचार कराने हेतु विस्तारित की गयी मान्यता यथावत् रहेगी।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-110-(1) औ०सं०-17/पाकालि/2024/तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ/एस०एल०डी०सी० लि०, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०/उ०प्र० रा० वि० प० उ० नि० लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं के०को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
10. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु।
15. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, गाजियाबाद।
16. प्रबन्धक, यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

स्पीड पोस्ट

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औ०सं०)